

## झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी चतरा

विज्ञापन संख्या— 01 / 2019—20

### चतरा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन।

1. चतरा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग—अलग जमा करेंगे।

**नोट :—** गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका नहीं है। अतः उन्हें उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों।

2. गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत् है, जो घट बढ़ सकती है।

#### (क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :—

##### (क) ग्रामीण महिला/पुरुष गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :—

क्र0 स0	प्रखण्ड का नाम	महिला	पुरुष
01	सिमरिया	23	23
02	हण्टरगंज	24	24
03	ईटखोरी	32	33
04	प्रतापपुर	33	33
05	कुन्दा	51	52
06	गिर्द्धौर	49	50
07	पथलगड्हा	45	46
08	टण्डवा	10	11
09	लावालौंग	44	45
10	कान्हाचट्ठी	54	55
11	मयुरहण्ड	48	49
12	सदर चतरा	20	21
	कुल:—	<b>433</b>	<b>442</b>

#### (ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :—19

##### (ख) शहरी गैर तकनीकि महिला/पुरुष गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :—

क्र0 स0	प्रखण्ड का नाम	महिला	पुरुष
01	शहरी	05	05

(ग) शहरी तकनीकि महिला/पुरुष गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

क्र० स०	प्रखण्ड का नाम	महिला	पुरुष
01	शहरी	04	05

कुल रिक्ति :- 894

उपरोक्त दोनों कोटि ( ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक ) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णाकित होंगे।

महिलाओं के कर्णाकित पदों में से 5 प्रतिशत पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा /परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा /परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने के स्थिति में उक्त 5 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णाकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी /तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जायेगी।

3. अर्हता – (क) आवासीय :- (i) ग्रामीण गृह रक्षक :- अभ्यर्थी को चतरा जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करेंगे।

(ii) शहरी गृह रक्षक :- अभ्यर्थी को चतरा जिला शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करेंगे।

(ख) उम्र सीमा :- 01-01-2019 को 19 से 40 वर्ष।

( सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। )

(ग) शैक्षणिक योग्यता :-

(i) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास।

(ii) शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक (10)वीं पास।

(सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

(घ) शारीरिक मापदण्ड :- ( ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान )

(i) लम्बाई :- पुरुष - 162 सेमी० ( सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी. )

157 सेमी० ( अ.ज.जा./अ.जा. )

महिला - 148 सेमी० ( सभी के लिए )

(ii) सीना :- पुरुष - 79 सेमी० ( सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी. )

76 सेमी० ( अ.ज.जा./अ.जा. )

(शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

(ङ.) तकनीकी दक्षता (सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए) – अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत / स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों का सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा— चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कम्प्युटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक (एच.एम. भी / एल.एम.भी), रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, पलम्बर, आदि।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्व०—अभिप्रापणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

**4. चयन प्रक्रिया**— गृह विभाग झारखण्ड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442, दिनांक 20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जॉच परीक्षा ली जायेगी।

(क) शारीरिक जॉच परीक्षा :— इसके अन्तर्गत 1 मील की दौड़, उंची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट, समिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत प्रदान किया जायेगा।

### (i) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए —

जॉच	पुरुष	महिला
दौड़ ( 1 मील )	5 मिनट या पहले – 20 अंक 5 मिनट से अधिक 6 मिनट तक – 10 अंक 6 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले – 20 अंक 8 मिनट से अधिक 10 मिनट तक – 10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।
उंची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट – 5 अंक (ख) 4' – 4'3" – 6 अंक (ग) 4'3" – 4'6" – 7 अंक (घ) 4'6" 4'9" – 8 अंक (च) 4'9" – 5' – 9 अंक (छ) 5' और अधिक – 10 अंक	(क) न्यूनतम 3 फीट – 5 अंक (ख) 3' – 3'3" – 6 अंक (ग) 3'3" – 3'6" – 7 अंक (घ) 3'6" 3'9" – 8 अंक (च) 3'9" – 4' – 9 अंक (छ) 4' और अधिक – 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट – 5 अंक (ख) 12' – 13' – 6 अंक (ग) 13' – 14' – 7 अंक (घ) 14' – 15' – 8 अंक (च) 15' – 16' – 9 अंक (छ) 16' और अधिक – 10 अंक	(क) न्यूनतम 9 फीट – 5 अंक (ख) 9' – 10' – 6 अंक (ग) 10' – 11' – 7 अंक (घ) 11' – 12' – 8 अंक (च) 12' – 13' – 9 अंक (छ) 13' और अधिक – 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड – न्यूनतम 16 फीट	10 पौण्ड – न्यूनतम 10 फीट

### (ii) तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए —

जॉच	पुरुष	महिला
दौड़ ( 1 मील )	6 मिनट या पहले – 20 अंक 6 मिनट से अधिक 8 मिनट तक – 10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले – 20 अंक 8 मिनट से अधिक 12 मिनट तक – 10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।
उंची कूद	(क) न्यूनतम 3.5 फीट – 5 अंक (ख) 4' और अधिक – 10 अंक	(क) न्यूनतम 2.5 फीट – 5 अंक (ख) 3' और अधिक – 10 अंक

लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9 फीट - 5 अंक (ख) 10' अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 6फीट - 5 अंक (ख) 7' से अधिक - 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड - न्यूनतम 12 फीट	10 पौण्ड - न्यूनतम 8 फीट

**(ख) हिन्दी लेखन - क्षमता परीक्षा :-** शारीरिक जॉच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10 वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जॉच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उर्त्तीर्णांक 30 होगा।

**(ग) तकनीकी दक्षता परीक्षा** ( सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए ) :- शारीरिक जॉच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उर्त्तीर्णांक 30 होगा।

**(घ) सभी जॉच परीक्षा की समाप्ति** के बाद उपर्युक्त अधिवसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जॉच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी रोटी के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र / राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरुस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नवत् अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा। ( सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरुस्कार प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। )

स्थान	राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
प्रथम	6 अंक	3 अंक
द्वितीय	4 अंक	2 अंक
तृतीय	2 अंक	1 अंक

6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों 10 प्रतिशंत नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत् अंक दिये जायेंगे :-

स्नातकोत्तर	- 10 अंक
स्नातक	- 8 अंक
इण्टरमीडिएट	- 6 अंक
मैट्रिक	- 4 अंक

**7. आवेदन कैसे जमा करें :—** विहित प्रपत्र में आवेदन पूर्णरूपेण सही — सही भरकर सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ हाथों हाथ निम्न कार्यालय में जमा करें।

पता :—

जिला समादेष्टा,  
झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी,  
चतरा।

पिनकोड़ :— 825401

आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजा जा सकता है। डाक से भेजने वाले उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन सं0 तथा आवेदित पद का नाम — ग्रामीण गृह रक्षक, प्रखण्ड ..... / शहरी गृह रक्षक गैर तकनीकी/ तकनीकी दक्ष अवश्य लिखें।

**8. आवेदन प्राप्त करने की तिथि :—** दिनांक.....05-07-2019.....से दिनांक...19-07-2019.....  
तक प्रत्येक कार्य दिवस को। ( 10:00 बजे से 15:00 बजे तक )

**9. (क) जो आवेदन हाथों हाथ प्राप्त होंगे उन्हें तुरंत पावती रसीद में कमांक अंकित कर वापस कर दिया जायेगा, पावती रसीद में अंकित कमांक ही उम्मीदवार का रॉल नं0 माना जायेगा।**

(ख) जो आवेदन डाक द्वारा प्राप्त होगा उसकी पावती पर कमांक अंकित कर, जो आवेदक का रॉल नं0 माना जायेगा, सामान्य डाक द्वारा आवेदक के पता पर भेजा जायेगा। इसके लिए आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ एक सादा लिफाफा पर पॉच रूपये का डाक टिकट साटकर अपना पूर्ण पता लिखकर भेजेंगे। पावती प्राप्त नहीं होने या विलम्ब से प्राप्त होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होंगी।

**10. एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।** एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे।

**11. जॉच परीक्षा की तिथि** एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

जिला समादेष्टा,  
झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी,  
चतरा।

पुलिस अधीक्षक,  
चतरा।

उपायुक्त,  
चतरा।



## झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी चतरा

शहरी गृह रक्षक में नामांकन के लिए आवेदन की पावती रसीद

विज्ञापन संख्या :— 01/2019–20

गैर तकनीकी/तकनीकी दक्ष.....

( उल्लेख करें )

क्रमांक.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम .....पिता/पति का नाम.....

ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....

थाना.....प्रखण्ड.....जिला.....

प्राधिकृत प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर  
जिला समादेष्टा का कार्यालय

झा०गृ०र०वा०

चतरा ।